

291



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी 2111-II-15

प्रकरण क्र. / 15 निगरानी

बहादुर सिंह पुत्र जगत सिंह जाति राजपूत आयु 58 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम कैथन तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.....आवेदक

विरुद्ध

1. रामसखी पत्नी स्व. रामपाल सिंह जाति राजपूत आयु 50 वर्ष निवासी ग्राम कैथन तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)
2. दीपक सिंह पुत्र स्व. रामपाल सिंह आयु 38 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम कैथन तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)
3. कुलदीप पुत्र स्व. रामपाल सिंह आयु 35 वर्ष व्यवसाय कृषि निवासी ग्राम कैथन तहसील चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

.....अनावेदकगण

दिनांक 6-7-15 को
श्री सुदीप श्रीवास्तव, जा.प्र.
द्वारा प्रस्तुत
6-7-15
50

श्रीमान श्रीवास्तव

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959 विरुद्ध आर.आई. रिपोर्ट दिनांक 7.6.15 जो प्रकरण क्र. 12/14-15 नायब तहसीलदार वृत्त चन्देरी में प्रस्तुत हुई।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-



1. यहकि, ग्राम कैथन के सर्वे क्र. 247 संपूर्ण रकवा 8.361 हेक्टर भूमि

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग.2111-दो/2015

जिला-अशोकनगर

बहादुर सिंह विरुद्ध रामसखी अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
30.8.19	<p>प्रकरण आज लिया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त चंदेरी जिला-अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 8अ-12/14-15 में पारित आदेश दिनांक 07.06.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27.07.2018 को हुए नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25.09.2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा -54 (क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला- अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 30.09.2019 को कलेक्टर, अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p></p> <p> (जे०के० खैत्र) सदस्य</p>	